संख्या-32/2026/308-22-4-2026-1369563

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय:- नवनिर्मित जिला कारागार महोबा को क्रियाशील किए जाने हेतु सुरक्षा, तलाशी, संचार उपकरणों एवं प्रशासन व प्रबन्ध व्यवस्था तथा बंदी सुविधाओं हेतु प्रस्तावित विभिन्न उपकरणों / मशीनों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-1646/नम-3/जेल-महोबा/25-26, दिनाँक 16.01.2026 एवं पत्र संख्या-9200/नम-3/जेल-महोबा/25-26, दिनाँक 13.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माणाधीन जिला कारागार महोबा में निम्नांकित तालिका में उल्लिखित उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री की व्यवस्था हेतु **रू0 8,80,73,714/- (रूपये आठ करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार सात सौ चौदह मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

क्र.	उपकरण/संयंत्र/सामग्री	कुल अनुमानित राशि
1	सीसीटीवी सर्विलांस इकाई	55389492
2	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाई	1874773
3	सुरक्षा तलाशी उपकरण (डोरफ्रेम व हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर एस्कैनर बैगेजए व हैण्डहेल्ड सर्वलाइट)	12712350
4	वायरलेस सेटों की व्यवस्था	1020000
5	इण्टरकॉम इकाई	800000
6	कार्यालय/ई-प्रिजन कार्य हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर	829808
7	कार्यालय प्रबन्ध व्यवस्था हेतु उपकरण तथा सामग्री	1717240
8	बन्दी सुविधाएं (आर०ओ० प्लाण्ट, एलईडी टेलीविजन, वाटरकूलर तथा हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीन)	3685900
9	आधुनिक पाकशाला (उपकरण एवं मशीनों की व्यवस्था)	5137021
10	चिकित्सालय साज-सज्जा सामग्री तथा उपकरण	1457233
11	कारागार कार्यालयों व चिकित्सालय हेतु फर्नीचर	3449897
	योग-	**8,80,73,714**

शर्तें/प्रतिबन्ध-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.11.2024 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार मितव्ययिता के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रस्तावित उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व उनकी दरों/गुणवत्ता/कारागार विभाग हेतु उनकी उपयोगिता पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे।

(3) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हों।

(4) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(7) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों/संयंत्रों/सामग्री की आवश्यकता/अपरिहार्यता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 8,80,73,714 (रुपये आठ करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार सात सौ चौदह मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-12-652-X-2025-26**, दिनांक **25 मार्च, 2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2026/308(1)/22-4-2026-1369563, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, महोबा।
(4) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, महोबा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।